वाणिज्य अ.ज.–849

अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

(वाणिज्य शाखा) CIN – U40109RJ2000SGC016482
विद्युत भवन, माकड़वाली रोड, पंचशील नगर, अजमेर
दूरभाष – 0145–2644501, फेक्स – 0145–2644502

क्र./अ.वि.वि.नि.लि./अति.मु.अ. (मुख्यालय.)/अ.अ.–II/2021–22/प्रे 3906 दिः 07/01/2022

आदेश

विषय – कृषि उपभोक्ताओं के सतर्कता जांच प्रतिवेदन के निस्तारण के संदर्भ में।

सतर्कता जांच प्रतिवेदन के निस्तारण के संदर्भ में विस्तृत दिशा– निर्देश वाणिज्य आदेश 819 दि0 01.02.2021 द्वारा जारी किये गये थे। इस आदेश के अनुसार सतर्कता जांच प्रतिवेदन से असन्तुष्ट उपभोक्ता वैधानिक दायित्व राशि की 10 प्रतिशत अथवा 5 लाख रूपए, जो भी कम हो एवं सम्पूर्ण प्रशमन राशि जमा करवाकर राजस्व निर्धारण पुर्नरीक्षण समिति के समक्ष आवेदन कर सकते हैं, परन्तु कनेक्शन पुर्नस्थापित करने के लिए वैधानिक दायित्व राशि की 50 प्रतिशत जमा कराना आवश्यक है।

इसी क्रम में कृषि उपभोक्ताओं की परेशानी को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया गया है कि कृषि उपभोक्ताओं के विद्युत् चोरी के प्रकरण में यदि उपभोक्ता वैधानिक दायित्व राशि की 10 प्रतिशत एवं सम्पूर्ण प्रशमन राशि जमा करवा देता है तो उसका विद्युत् सम्बन्ध पुर्नस्थापित (RC) कर दिया जावेगा तथा प्रकरण राजस्व निर्धारण पुर्नरीक्षण समिति में ले लिया जायेगा।

इसके अतिरिक्त यदि कृषि उपभोक्ता वैधानिक दायित्व राशि की 50 प्रतिशत एवं सम्पूर्ण प्रशमन राशि जमा करा देता है तो सतर्कता जांच प्रतिवेदन को सहायक अभियंता स्तर पर ही पूर्ण निस्तारित माना जायेगा। यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होंगे।

उक्त आदेश अध्यक्ष डिस्कॉम्स द्वारा जारी आदेश संख्या 429 दिनांक 25.12.2021 के अनुसरण में जारी किया जा रहा है।

आज्ञा से

अति. मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)
अविविनिलि, अजमेर

d /XEN-II/Comml Order hindi